भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2425
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

विभिन्न नौकरियों में आरक्षण हेतु विशेष प्रावधान

2425. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी से निष्पादित परियोजनाओं में सृजित विभिन्न नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई विशेष प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, वर्ष 2006 में निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक समन्वय समिति स्थापित की गई थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एसजेएंडई), जनजातीय मामलों का मंत्रालय तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) इस समिति के सदस्य हैं। डीपीआईआईटी इस समिति को सचिवीय सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक समन्वय समिति की 9 बैठकें हो चुकी हैं। पहली समन्वय समिति की बैठक में, यह कहा गया था कि सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका उद्योग जगत द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई हीं है।

तदनुसार, शीर्ष उद्योग संघों अर्थात् भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) ने समावेशन प्राप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता पर केंद्रित अपनी सदस्य कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) तैयार की है। उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कोचिंग आदि शामिल हैं।

*****